

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर**  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....कोयलूर.....

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीलाक्ष्मी व भूअनि रामगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम कोयलूर प.080 कोयलूर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 238 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प.080	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>कोयलूर</u>	<u>खाता सं. - 238</u>	<u>बालुराम उम</u> <u>लाडुराम</u>	<u>बालुराम पुत्र</u> <u>बनाराम उर्फ लाडुराम</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
दिनांक:- 08.12.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 844

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर